कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः--अति. मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2014-15/98 दिनांकः 09-05-2014

श्री अनिल मण्डोत, विमल चन्द बिनाकिया,
डी-3, रमन मार्ग, तिलक नगर,
जयपुर।

विषय :--पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 111/148 से 111/154 व 111/158 से 111/161 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर पर बहुमंजिले आवासीय फ्लैट्स के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

1. उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 संशोधन के तहत जारी की गई है।
2. उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम-2010 की धारा 14.10 के अनुसार 7 (सात) वर्ष के लिये मान्य होगी।
3. इस निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए राजस्थान आवासन मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
4. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी।
5. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
6. विद्युत सेवा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
7. नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुरूप होगी।
8. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।
9. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
10. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् में जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है। उन बावत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।
11. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी भवन निर्माता की होगी।
12. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है, अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
13. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इस का पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर राजस्थान आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के तोडने का

हकदार होगा एवं तोडने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर राजस्थान आवासन मण्डल हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेगें।

14. प्रार्थी अनुमोदित मानचित्रों की प्रति निर्माण स्थल पर बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित करेगा। साथ ही वास्तुविद्, भवन मालिक व ठेकेदार का नाम भी अंकित करेगा। यदि भवन निर्माण के समय मौके पर उक्त वर्णित डिस्प्ले नहीं है तो संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव से रूकवा दिया जावे।

15. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा–निर्देशें के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी। दिशा–निर्देशों की प्रति संलग्न है।

16 प्रत्येक 100.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बडे वृक्ष जो 6.00 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो लगाने होंगें।

संलग्न :– अनुमोदित भवन मानचित्र का एक सैट

भवदीय

8/5/15

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया सुनिश्चित करें कि भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार हों।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

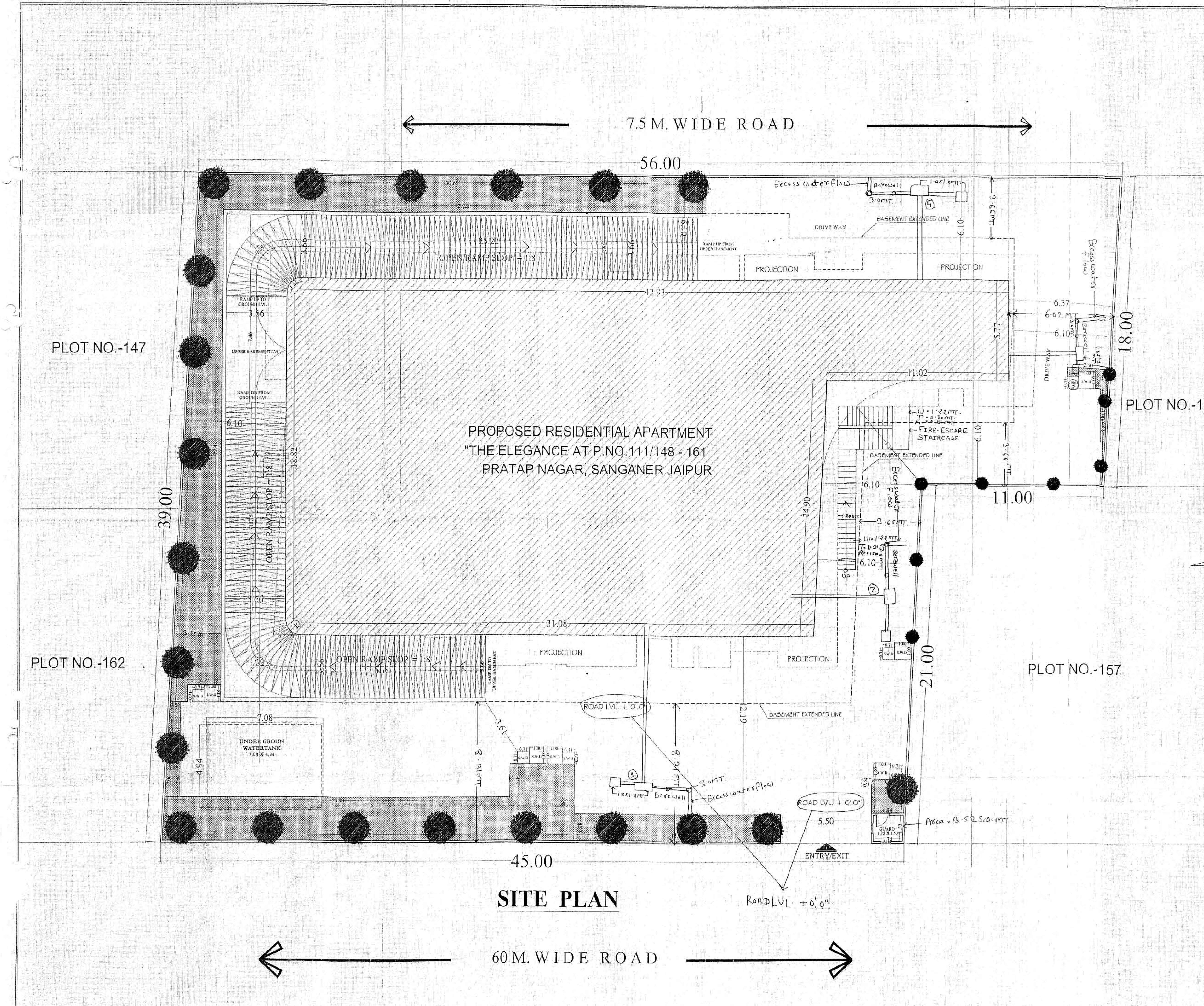

SITE PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

PLOT AREA = 1953.00 SQ.MT

FLOOR	GROSS BUILT UP AREA SQ.MT.	BUILT UP AREA SQ.MT.	DEDUCTIONS AREA SQ.MT.	F.A.R AREA SQ.MT.
BASEMENT-1	1190.51	1190.51	PARKING (1190.51)	-
BASEMENT-2	1190.51	1190.51	PARKING (1190.51)	-
STILT	BLOCK AREA = 739.19 GUARD ROOM - 3.52 U.G WATER TANK - 38.61 FIRE ESCAPE - 6.31 TOTAL = 787.63	739.19	COMMUNITY HALL 25.45 PARKING 709.34 734.79	HANDICAPED TOILET = 4.40
FIRST FLOOR TO 12 TH FLOOR (12 FLOOR)	BLOCK AREA = 803.75 BALCONY & FIRE ESCAPE = 88.93 TOTAL = 892.68 892.68 X 12 = 10712.16	BLOCK AREA = 818.34 CUT - OUT = 14.60 TOTAL = 803.75 803.75 X 12 = 9645.00	STAIR - 9.18 LIFT - 9.54 CORRIDOR - 84.55 STORE - 25.28 SERVICES - 38.39 TOTAL 166.94 166.94 X 12 = 2003.28	803.75 - 166.94 636.81 636.81 X 12 = 7641.72
TERRACE	OVER HEAD WATER TANK - 31.02 STAIR MUMTY - 14.50 LIFT MUMTY - 12.06 TOTAL = 57.58	OVER HEAD WATER TANK - 31.02 STAIR MUMTY - 14.50 LIFT MUMTY - 12.06 TOTAL = 57.58	OVER HEAD WATER TANK - 31.02 STAIR MUMTY - 14.50 LIFT MUMTY - 12.00 TOTAL = 57.58	-
				7646.12
			EXCEED STORE AREA	20.73
TOTAL	13938.39	12849.35	5203.23	7666.85

PLOT AREA = 1953.00 SQ.MT.

GROUND COVERAGE = 803.76 X 100 / 1953.00 = 41.15 %

HEIGHT - 40.00 MT.

F.A.R - 7666.85 / 1953.00 = 3.92

75 % CARS = 96 CAR
25 % SCOOTERS = 96 CAR
PROPOSED PARKING = 128.33 ECU (96 CAR & 97 SCOOTERS)
(89 SURFACE + 09 MECHANICAL CAR PARKING)

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING FAR ACHIEVED / 75 = 7666.97 / 75 = 102.22

+ 25% EXTRA VISITOR PARKING = 102.22 X 1.25 = 127.78 E.C.U

TOTAL PARKING REQ. SAY = 128.00 E.C.U.

PARKING AVAILABLE =
CAR PARK IN OPEN AREA = 08 NO.S
CAR PARK IN STILT AREA = 20 NO.S
CAR PARK IN UPPER BASEMENT AREA = 25 NO.S
CAR PARK IN LOWER BASEMENT AREA = 34 NO.S
MECHANICAL CAR = 09 NO.S (LOWER BASEMENT)
TOTAL = 96 NO.S
SCOOTER PARK IN OPEN AREA = 54 NO.S
SCOOTER PARK IN STILT AREA = 23 NO.S
SCOOTER PARK IN UPPER BASEMENT AREA = 10 NO.S
SCOOTER PARK IN LOWER BASEMENT AREA = 10 NO.S
TOTAL = 97 (32.33 E.C.U.) NO.S

TOTAL PARKING PROVIDED = 96+32.33 = 128.33 E.C.U.

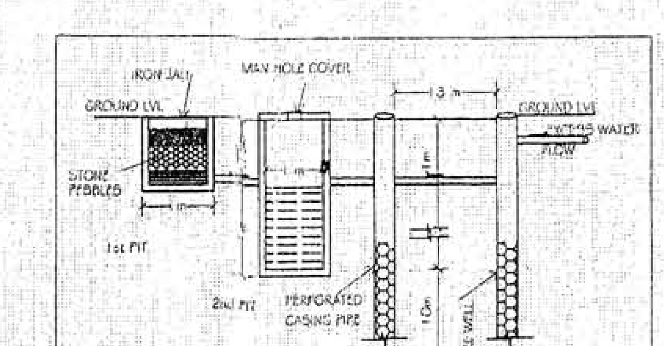

SECTION

HARVESTING STRUCTURE

SHEET NO.-01

SITE PLAN

NOTE:-
1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/3/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273
2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित,

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

DRAWING TITLE:-
SITE PLAN

SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS
ideas
• ARCHITECTURE
• URBAN PLANNING
• PROJECT MANAGEMENT

SCALE 1:100 | NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER | ARCHITECT

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

विद्युत सेवा [illegible] जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

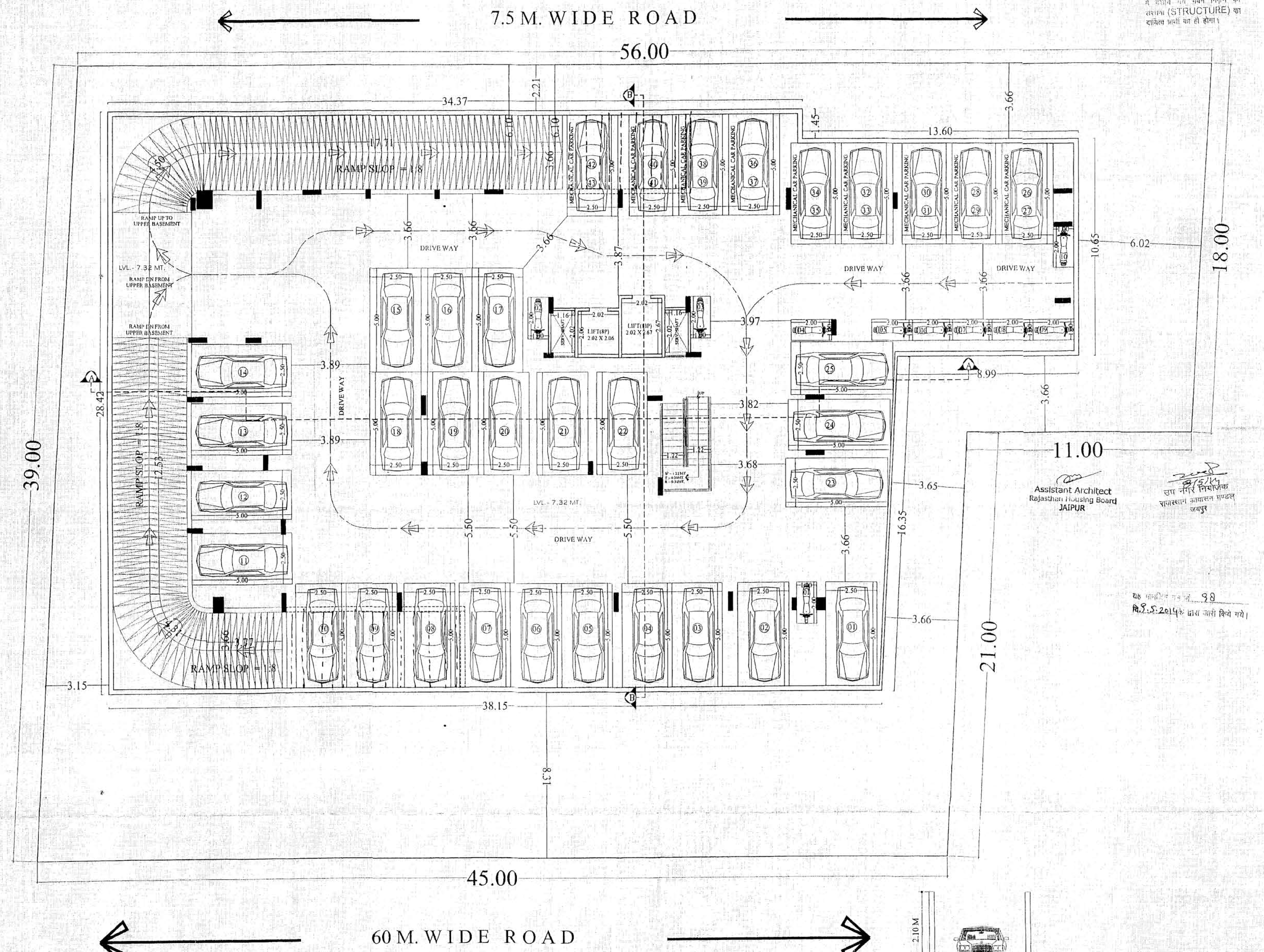

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्रांक 38 दि. 5.5.2014 के द्वारा जारी किये गये।

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

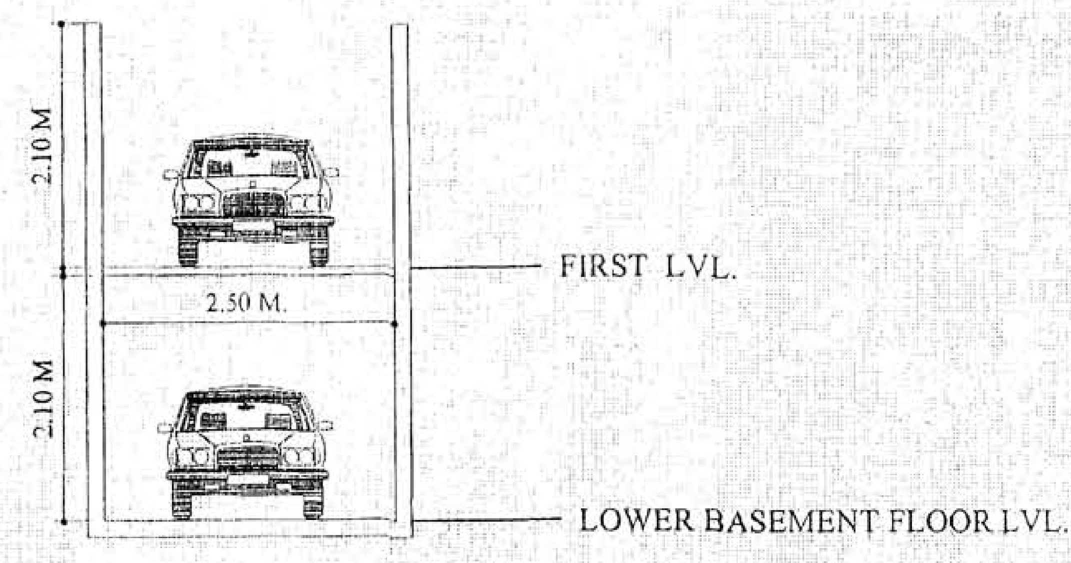

MECHANICAL CAR PARKING SECTION

SHEET NO.-02

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273
2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

इस [illegible] अनुमोदन किसी भी भांति [illegible] स्वामित्व का प्रमाण [illegible] और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

[illegible] मीटर से अधिक ऊँचाई [illegible] अधिक मंजिलों पर निर्माण [illegible] की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति [illegible] ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

Rain Wat[illegible] Shall be Provedad as per Rules

अनुमोदित, नियमबद्ध

DRAWING TITLE:-
LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT "THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161 PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS
ideas
• ARCHITECTURE • URBAN PLANNING • PROJECT MANAGEMENT

SCALE 1:100 | NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER | ARCHITECT

SHEET NO.-03

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

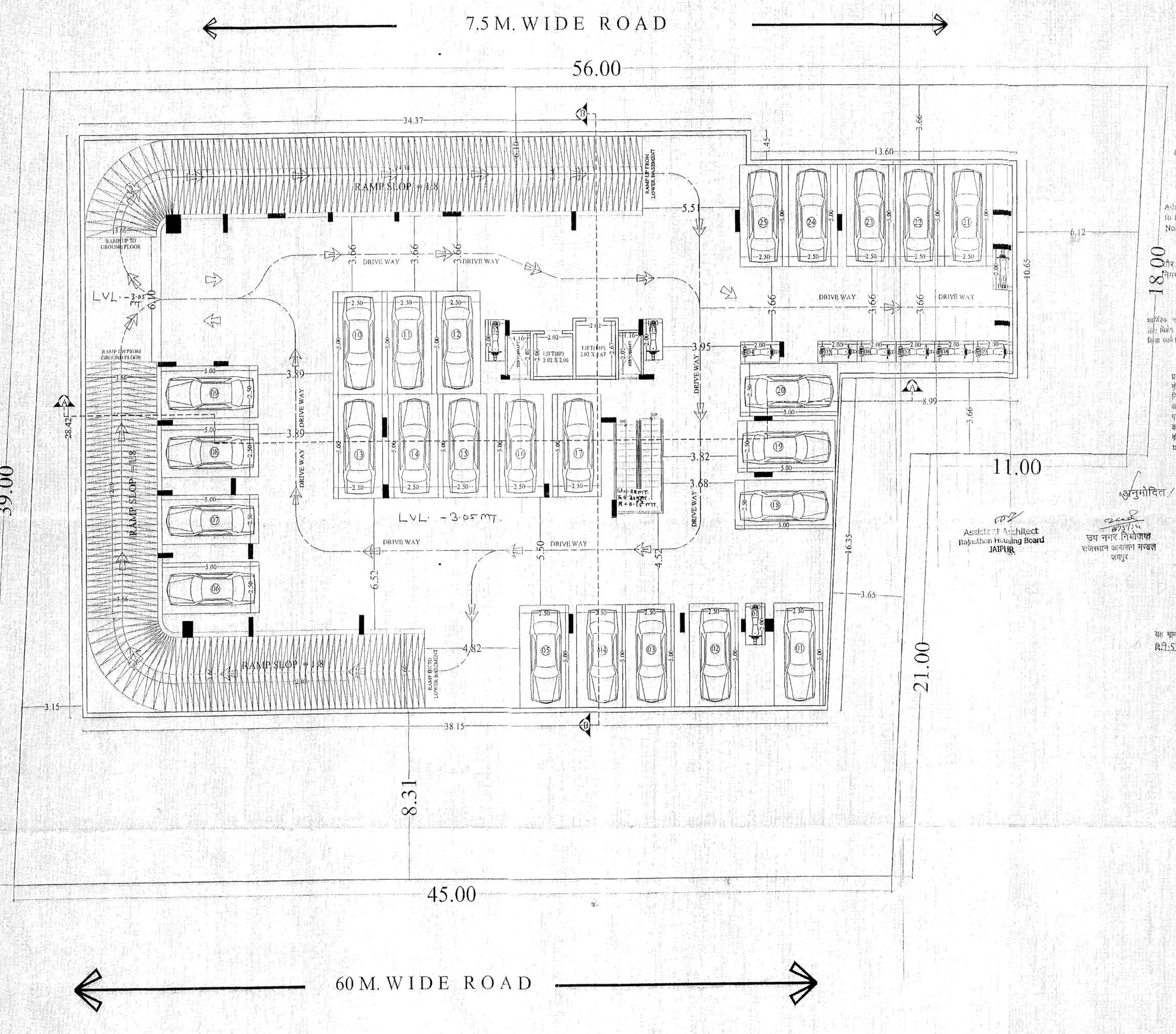

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

विद्युत सेवा, [illegible] नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

[illegible] मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति [illegible]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावें।

THESE PLANS ARE VALID [illegible] TO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से [illegible] की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित / ~~नियमबद्ध~~

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 98
दि. 9.5.2014 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE:-

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS:

ideas
• ARCHITECTURE
• URBAN PLANNING
• PROJECT MANAGEMENT

121, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2704217

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

SHEET NO.-04

STILT FLOOR PLAN

NOTE:-
1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

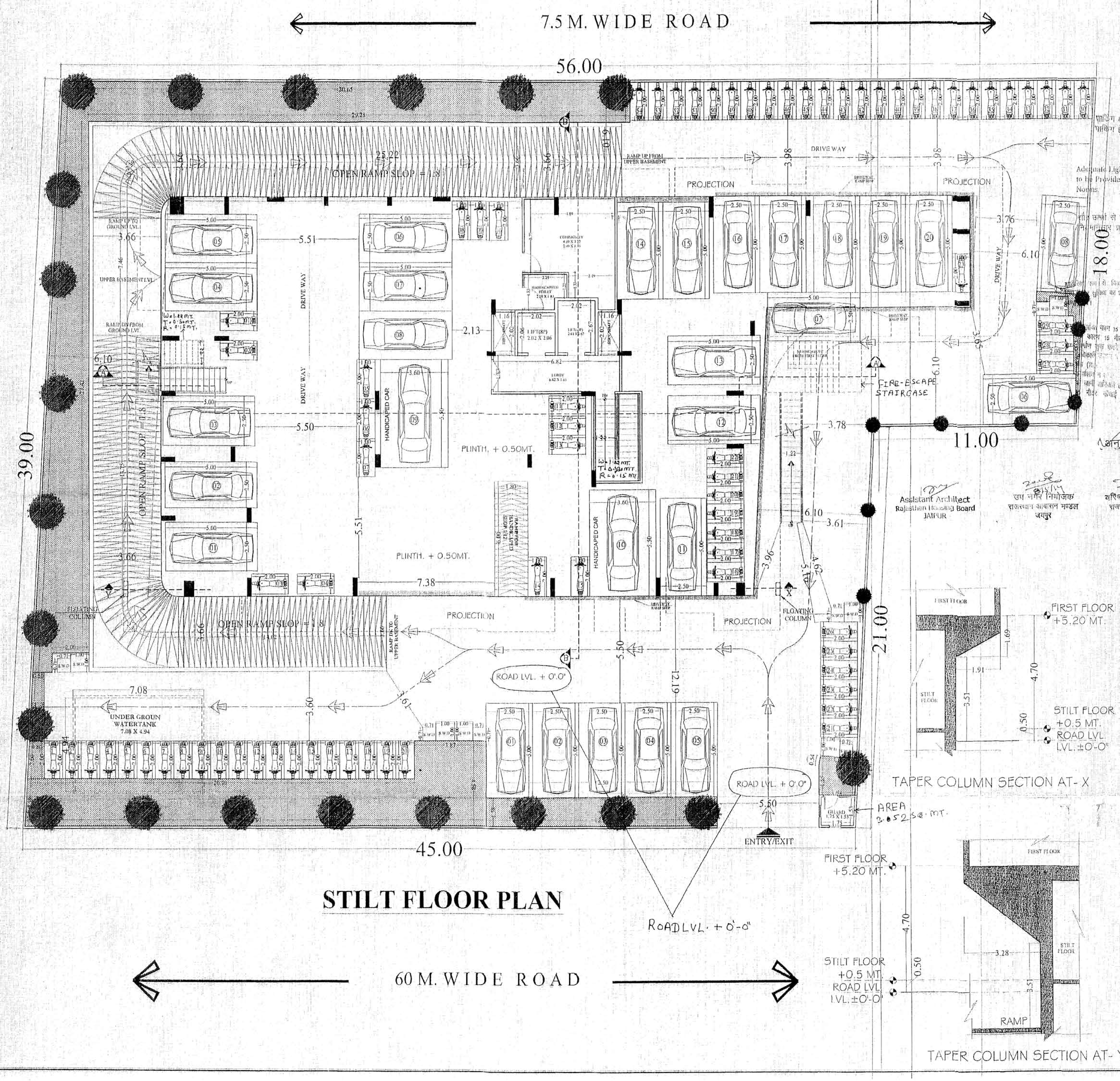

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

दर्शाये गये अनुमोदित मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provaded as per Rules

अनुमोदित / ~~निरस्तबद्ध~~

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

DRAWING TITLE:-
STILT FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
" THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS:
ideas
• ARCHITECTURE
• URBAN PLANNING
• PROJECT MANAGEMENT
124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect

OWNER

ARCHITECT

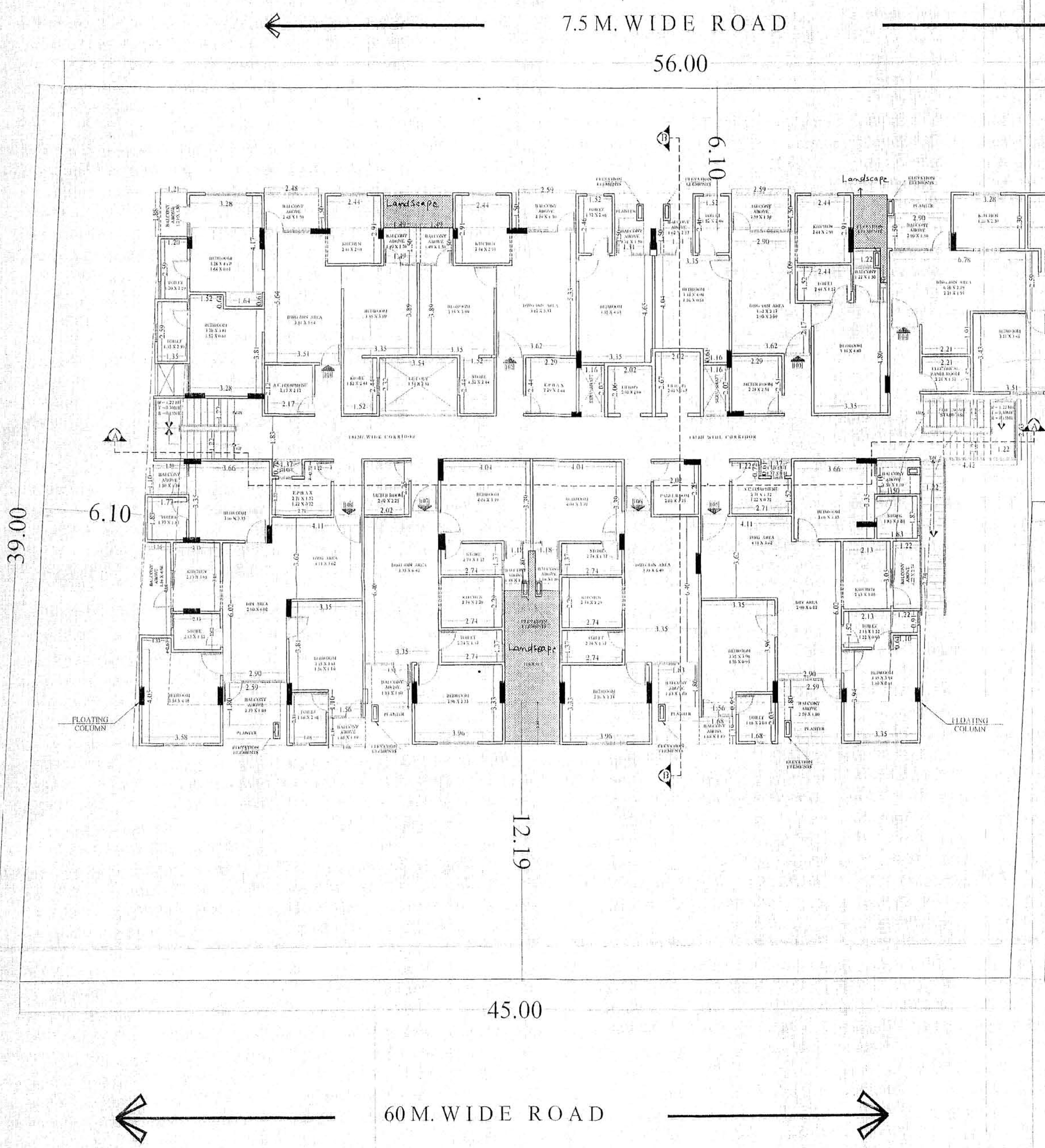

FIRST FLOOR PLAN

अनुमोदित / निरस्त

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 98
दि. .... के द्वारा जारी किये गये।

SHEET NO.-05

FIRST FLOOR PLAN

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

(STRUCTURE)

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

DRAWING TITLE:-
FIRST FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
"THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS:
ideas
- ARCHITECTURE
- URBAN PLANNING
- PROJECT MANAGEMENT

SCALE 1:100

NORTH POINT S W E N

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

SHEET NO.-06

SECOND TO 12 TH FLOOR PLAN
TERRACE FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Adequate Light and Ventilation [illegible] Provided as per N. B. C. Norms.

जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र [illegible] दर्शाये गये भवन निर्माण की [illegible] (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

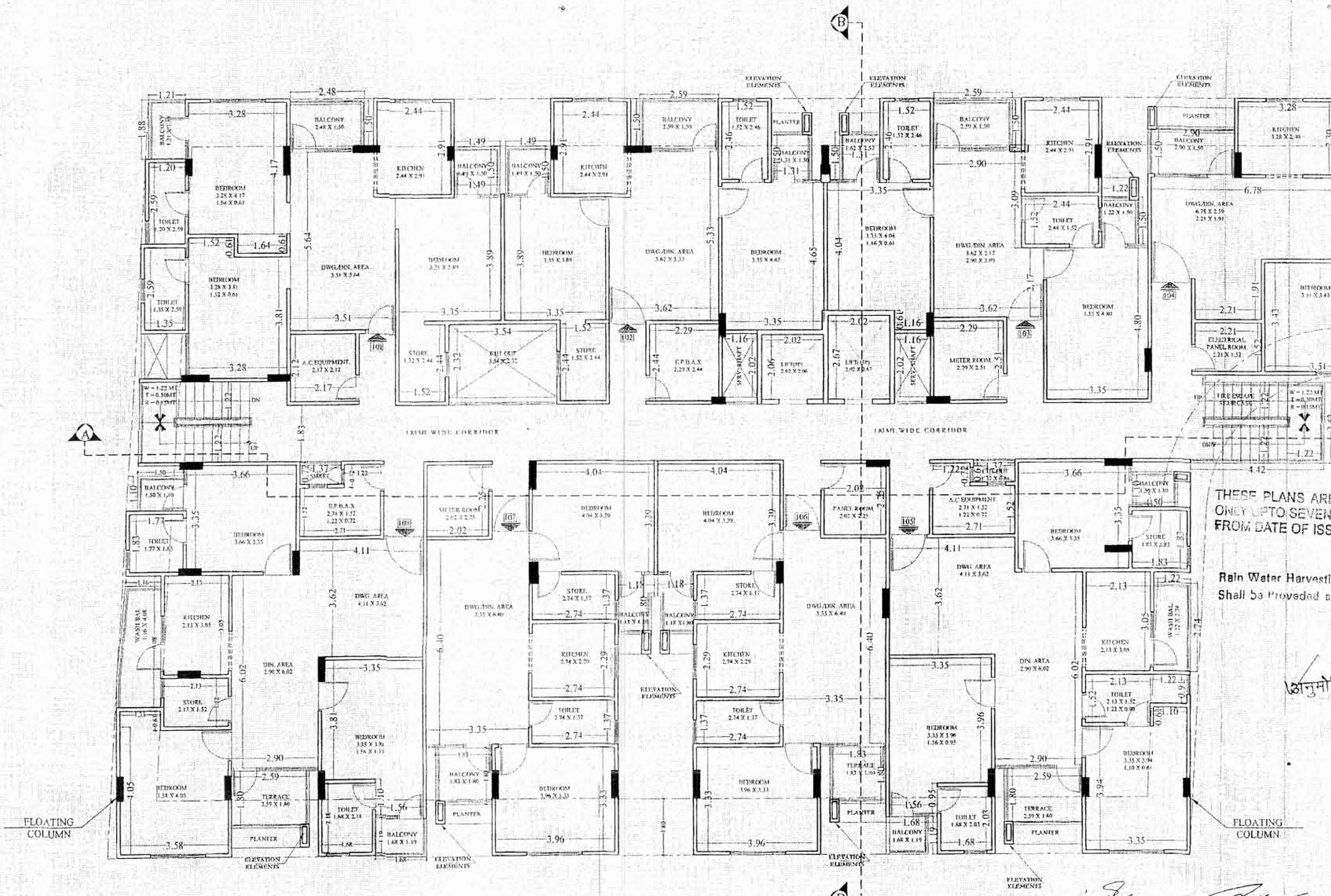

2ND TO 12 TH FLOOR PLAN

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित / ~~निरस्त~~

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

8/5/14
उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

8/8/14
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 98 दि. [illegible].5.2014 के द्वारा जारी किये गये।

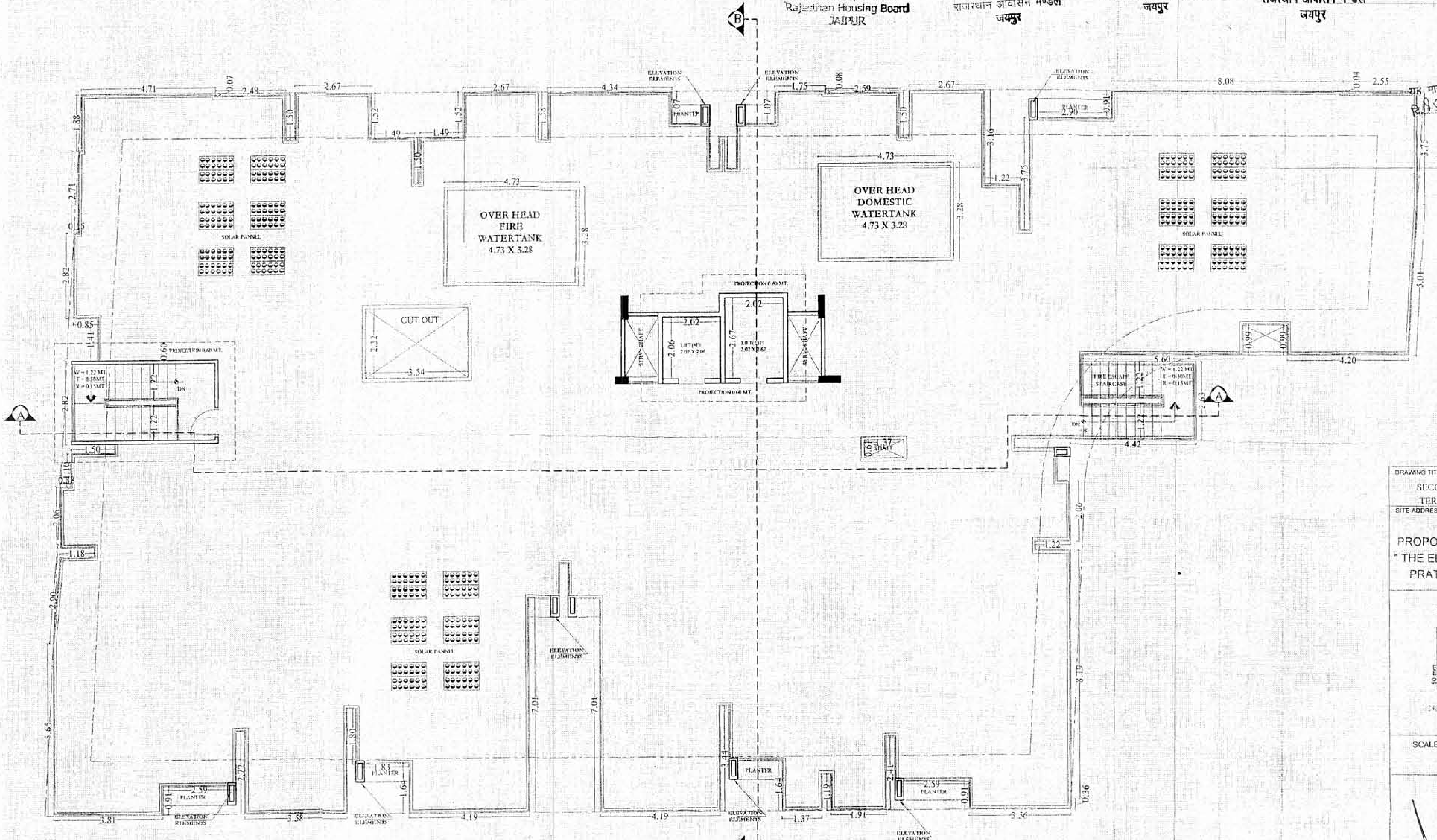

TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING TITLE:-
SECOND TO 12 TH FLOOR PLAN
TERRACE FLOOR PLAN

SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
" THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS:
ideas
- ARCHITECTURE
- URBAN PLANNING
- PROJECT MANAGEMENT

[illegible] HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - [illegible]

SCALE 1:100	NORTH POINT
OWNER	GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect CA/97/22030 ARCHITECT

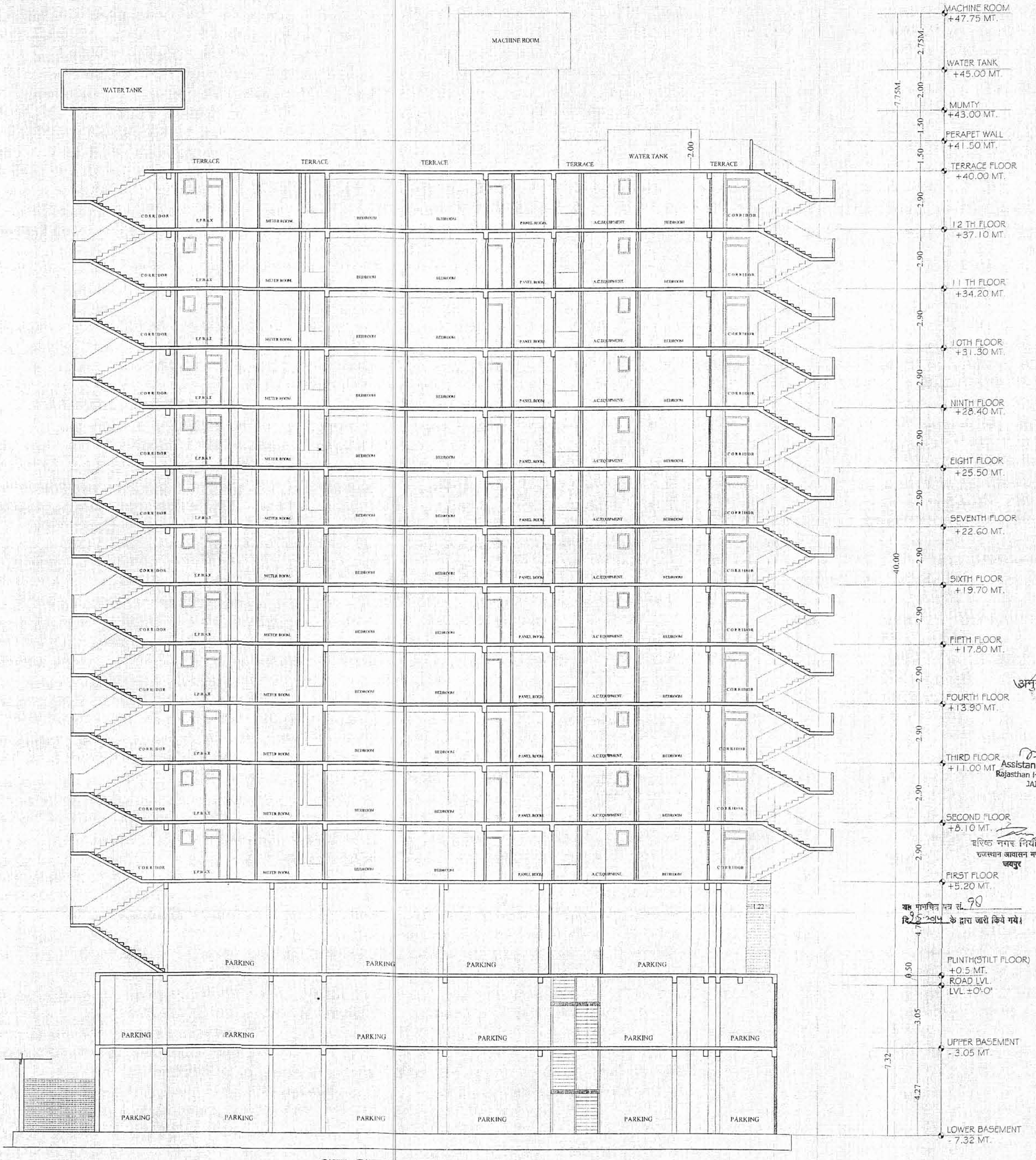

SECTION - A'-A

SHEET NO.-07

SECTION

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14 LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273
2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14 LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

[illegible] बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की [illegible] (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

[illegible] का अनुमोदन किसी भी भांति [illegible] के प्रति स्वामित्व का प्रमाण [illegible] जायगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक [illegible] (NOC) प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित / ~~[illegible]~~

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

उप [illegible] नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 98 दि. [illegible] के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE: SECTION

SITE ADDRESS: PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT "THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161 PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

ideas
- ARCHITECTURE
- URBAN PLANNING
- PROJECT MANAGEMENT

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/07/22030

OWNER

ARCHITECT

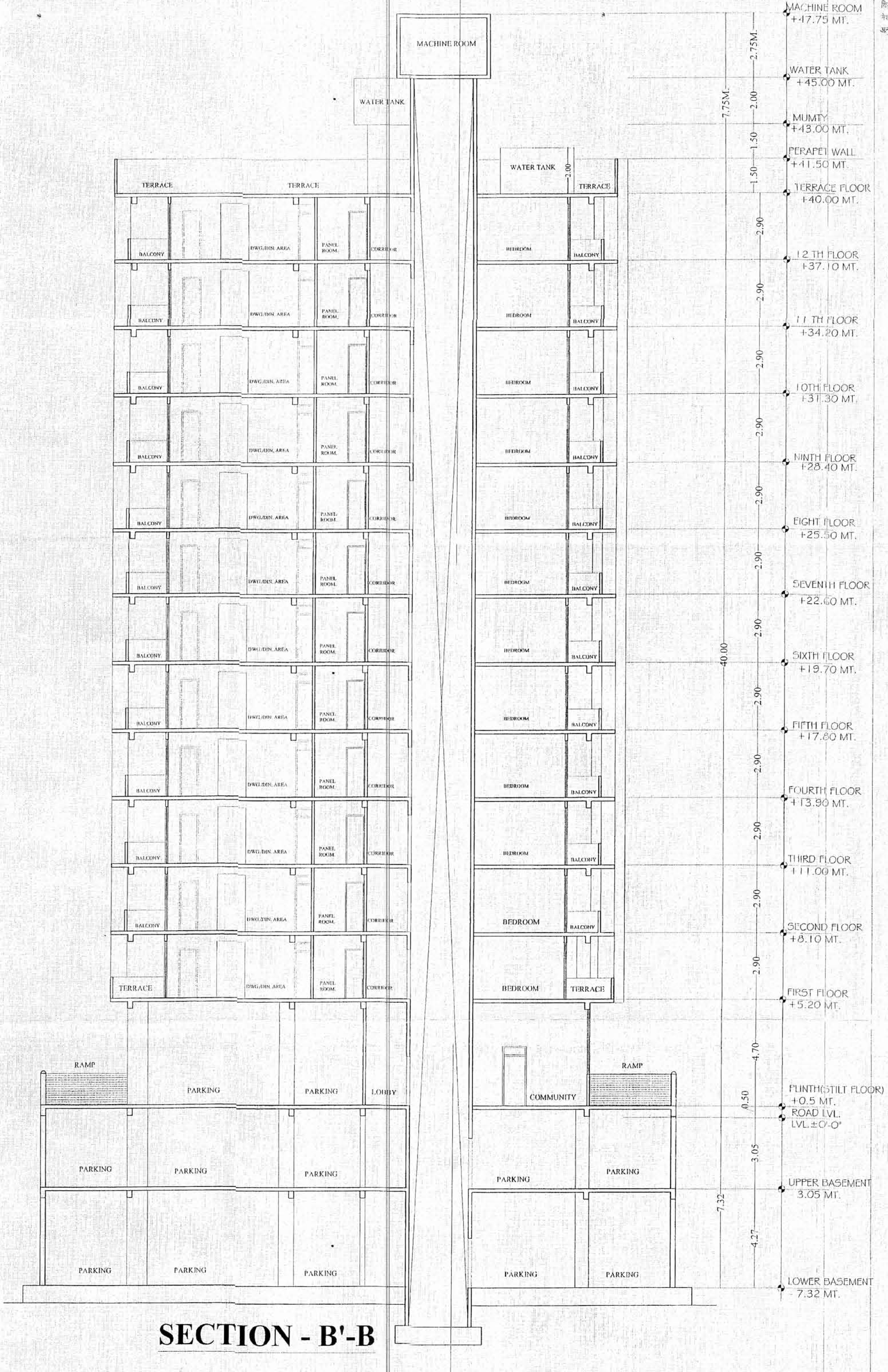

SECTION - B'-B

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

अनुसार होगी

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण ... (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित / ~~अस्वीकृत~~

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 98
दि. 1.5.2014 के द्वारा जारी किये गये।

SHEET NO.-08

SECTIONS

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति ... के स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shell be Proveded as per Rules

DRAWING TITLE:-

SECTIONS

SITE ADDRESS:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
" THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS

ideas
• ARCHITECTURE
• URBAN PLANNING
• PROJECT MANAGEMENT

124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

FRONT SIDE - ELEVATION

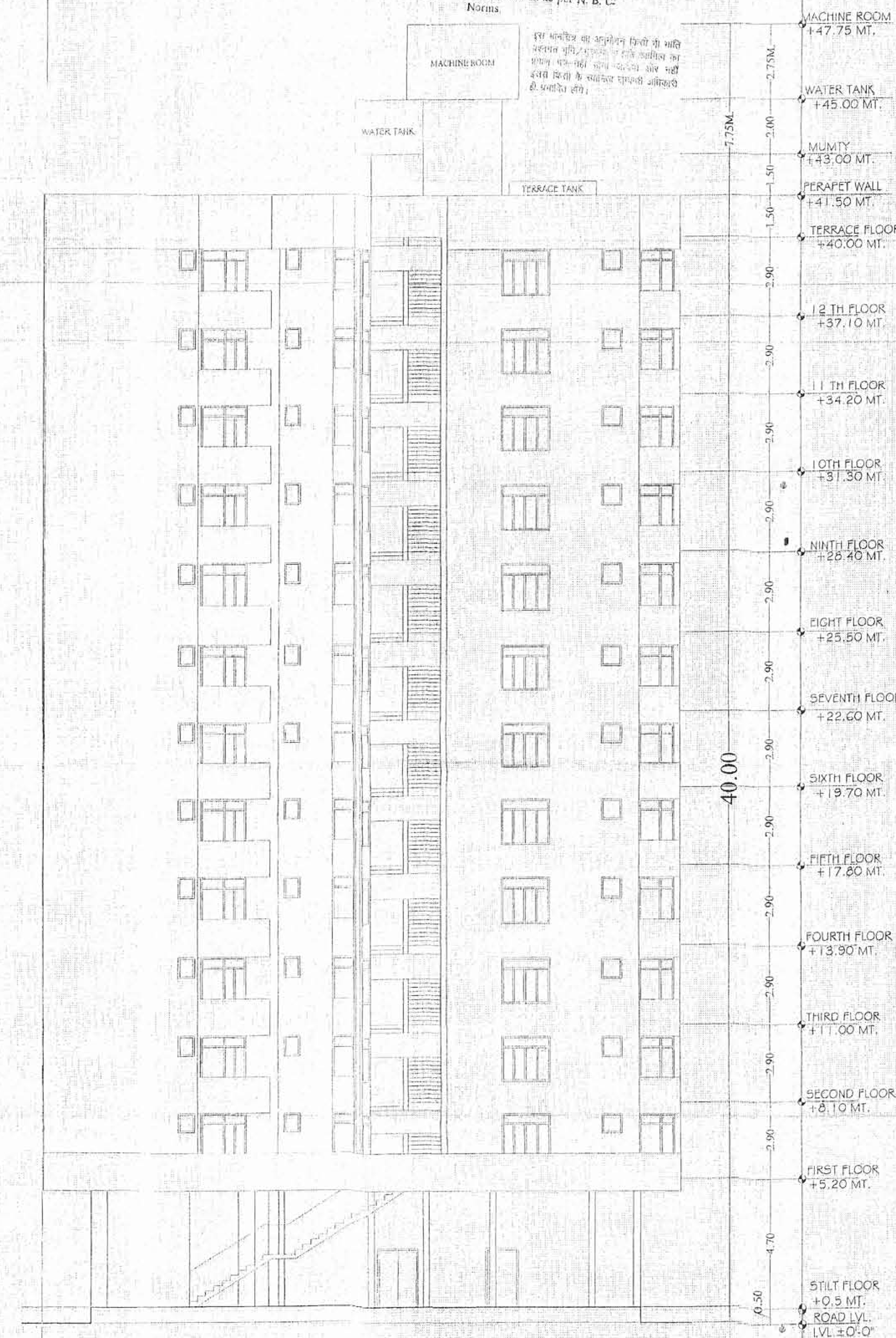

RIGHT SIDE - ELEVATION

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व आवेदक का ही होगा।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

SHEET NO.-09

ELEVATIONS

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules

अनुमोदित / ~~निरस्त~~

Assistant Architect
Rajasthan Housing Board
JAIPUR

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

98
19.5.2014 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE:-

ELEVATIONS

SITE ADDRESS:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
" THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS:

ideas
• ARCHITECTURE
• URBAN PLANNING
• PROJECT MANAGEMENT

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

REAR SIDE - ELEVATION

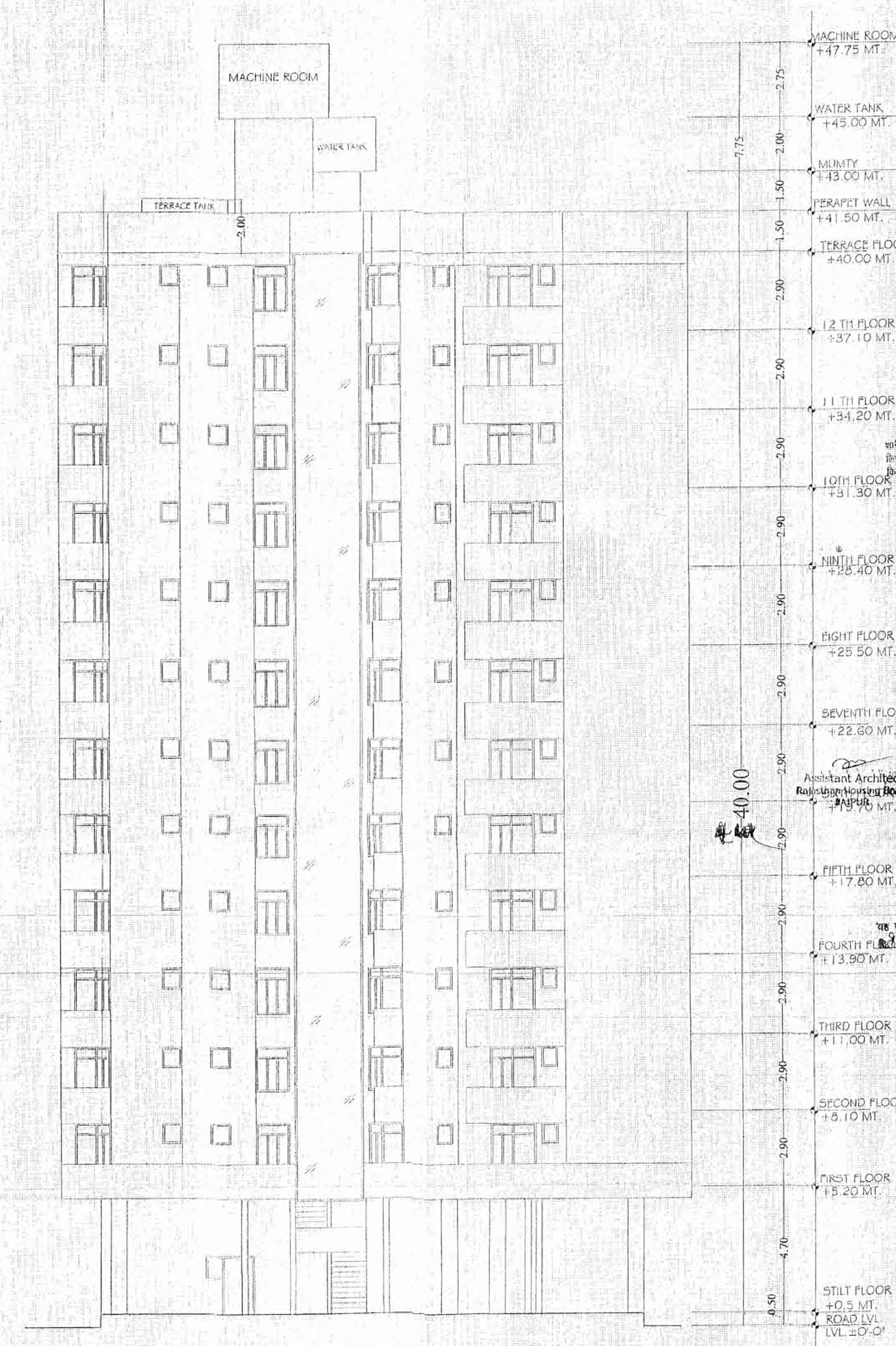

LEFT SIDE - ELEVATION

SHEET NO.-10

ELEVATIONS

NOTE:-

1. FIRE N.O.C ISSUE VIDE DATE 6/5/14
LETTER NO. F9(85) आ.फा./ न नि ज /14/273

2. AIRPORT N.O.C ISSUE VIDE DATE-28/2/14
LETTER NO. AAI/N.O.C/2013/320/4875-80

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units Shall be Proveded as per Rules

अनुमोदित / निरस्त

Assistant Architect Rajasthan Housing Board JAIPUR

उप नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 98 दि. 9.6.2014 के द्वारा जारी किये गये।

DRAWING TITLE:-

ELEVATIONS

SITE ADDRESS:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
THE ELEGANCE AT P.NO.111/148 - 161
PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR

PROJECT CONSULTANTS:

ideas
- ARCHITECTURE
- URBAN PLANNING
- PROJECT MANAGEMENT

124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER	ARCHITECT